

न्यायालय जिला कलक्टर, बारा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एम.पी.सिंह (आई)

प्रकरण संख्या— 148/2017

बउनवान

रामगोपाल पुत्र श्री रामनाथ जाति—कुम्हार निवासी—लिसाडिया
तहसील—बारां, जिला—बारां

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां



अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री सत्येन्द्र जमोदिया, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)
(रेस्पॉडेंट)

निर्णय दिनांक— 05.03.2018

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 08.10.2015 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-लिसाडिया, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 578 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 100/-रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का सुनवायी एवं जवाबदेही का अवसर दिये बिना एकतरफा आदेश पारित किया है। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है ना ही अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान राशि बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.10.2015 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

जिला कलक्टर
बारां (उप०)



Web Copy - Not Official

जो हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत अध्य सबूत, स्वतंत्र गवाहान के बयान एवं पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं घोषित किया जा सकता। विवादित आराजी ने कब्जा छोड़ दिया है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने हेतु बचनबद्ध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेटोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 261/14 निर्णय दिनांक 24.4.2014 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेटोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में कभी भी अतिचार नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में सहानुभूति का रुख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते हैं।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1153/15 में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2015 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दें व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटैकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार बारां कब्जा छोड़ने से सन्तुष्ट हो जावें तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.10.2015 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2015 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।




(डॉ०एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर, बारां
बारां (रब०)